06.04.2017

पुकार करायी गयी।उभय पक्ष की ओर से विद्वार अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 4ग नियम 3.3.1(1) फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स रूल्स 11 के अन्तर्गत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 28.10.2016 में एक कापी दिनांक 04.11.2016 को प्राप्त हुयी है आलोच्य आदेश दिनांकित 28.10.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में 20 दिन का विलम्ब हुआ है। अपील दिनांक 24.12.2016 को प्रस्तुत की गयी है। नियम 3.3.1(1) फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स रूल्स 11 में धारा 70 के अन्तर्गत अपील फाइल किये जाने हेतु आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर किये जाने का प्राविधान है और यह भी प्राविधान है कि यदि 30 दिन में अपील प्रस्तुत नहीं की जाती है और सन्तुष्टिकारक प्रस्तुत किया जाता है तो 30 दिन तक अपील संस्थित कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों को 5गब शपथ पत्र से समर्थित किया गया है। राज्य की ओर से प्रार्थना पत्र 4ग के विरूद्ध कोइ लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

प्रस्तुत मामले में आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2016 जिसकी प्रति प्रार्थी को दिनांक 04.11.2016 प्राप्त हुयी और अपील दिनांक 24.12.2016 को संस्थित की गयी है इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने में 30 दिन के पश्चात 20 दिन का विलम्ब हुआ है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आधार पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र 4ग में वर्णित आधार सन्तुष्टिकारक हैं।प्रार्थना प. 4ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 4ग 500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रकीर्ण वाद तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

0–010 एच0सी0जे0–20-8-2014–2,00,000 (डी0टी0पी0/आफसेट)।

जनपद न्यायाधीश
इलाहाबाद।